



परिवारों को टूटने से बचाने व पीड़ित महिलाओं को उनके उचित अधिकार दिलाने की पूरजोर कोशिश में लगी संस्था

नारी चेतना संस्थान द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र

(रजिस्ट्रेशन नं. 31 / उदय / 94-95)

(केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदानित)



उद्देश्य:

केंद्र का समय : प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक

- ❖ उत्पीड़ित एवं उपेक्षित तथा सताई हुई महिलाओं की कानूनी सहायता देना। ❖ पीड़ित महिलाओं को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना।
- ❖ पीड़ित महिलाओं को समुचित पुलिस सहायता उपलब्ध कराना। ❖ पीड़ित महिलाओं को उनका स्त्रीधन दिलाना। ❖ जरूरतमंद महिलाओं के पुर्नवास, नौकरी एवं रोजगार आदि की व्यवस्था करना एवं इसमें उनकी मदद करना। ❖ संस्थान, समय-समय पर शिविर लगाना समाजों की बैठक में भाग लेना
- ❖ समाचार पत्रों में लेख प्रसारित करवाना ❖ आकाशवाणी, दूरदर्शन परिचर्चा में भाग लेना ❖ मातृ- सम्मेलन, मौहल्ला मीटिंग आदि आयोजित करना।
- ❖ ट्रेनिंग, सेमिनार, कानूनी सलाह एवं सहायता ❖ कार्यशाला संबंधित शिविरों का आयोजन करना।

❖ सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार में महिलाओं द्वारा पैकिंग प्लांट ❖ पालना गृह ❖ अल्पावास गृह योजना

सदस्यता : ► पारिवारिक न्यायालय समाज कल्याण बोर्ड, (राज.) ► जिला महिला अत्याचार निवारण कमेटी

कार्यालय: 97, पंचवटी, उदयपुर Cell: 94141 65550 केंद्र: 12-A, देत्यमगरी, नीयर एन.सी.सी. ऑफिस, सहेली मार्ग, उदयपुर © 2421559 (O), 2560312 (R)